33

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी चौबीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

तैंतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन,1944 (शक)

तैंतीसवां प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)
(सत्रहवीं लोक सभा)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी चौबीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

21 मार्च, 2023 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया
21 मार्च, 2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन,1944 (शक)

सीओई सं. 362

मूल्यः रुपये.....

© 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और द्वारा मुद्रित

विषय सूची		पृष्ठ
समिति (2022-23) की संरचना		**5**
प्राक्कथन		**7**
अध्याय एक	प्रतिवेदन	**8**
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	**21**
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	**38**
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	**39**
अध्याय पाँच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	**43**
अनुबंध		
एक	बड़े नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के संस्थापन हेतु केन्द्रीय वित्त सहायता (सीएफए) के रुप में दी जा रही राजसहायता और प्रोत्साहन	**44**
परिशिष्ट		
एक.	समिति की 13 मार्च, 2023 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	**46**
दो.	ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।	**48**

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री जगदम्बिका पाल - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री बेल्लाना चंद्रशेखर
4. श्री प्रदीप कुमार चौधरी^
5. डॉ. ए. चैल्ला कुमार
6. श्री हरीश द्विवेदी
7. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
8. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
9. श्री किशन कपूर
10. श्री सुनील कुमार मंडल
11. श्री अशोक महादेवराव नेते
12. श्री प्रवीन कुमार निषाद
13. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल
14. श्री जय प्रकाश
15. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
16. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
17. श्री देवेन्द्र सिंह भोले
18. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)
19. श्री एस.सी. उदासी
20. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
21. श्री पी. वेलुसामी

राज्य सभा

22. श्री गुलाम अली@
23. श्री राजेन्द्र गहलोत

24. श्री नारायण दास गुप्ता
25. श्री जावेद अली खान
26. श्री मुजीबुल्ला खान
27. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
28. श्री कृष्ण लाल पंवार
29. श्री के आर एन राजेश कुमार
30. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
31. श्री के.टी.एस. तुलसी

<u>सचिवालय</u>

1.	डॉ. राम राज राय	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री आर.के. सूर्यनारायणन	-	निदेशक
2.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
3.	सुश्री दीपिका	-	समिति अधिकारी

---

^ 04 नवंबर, 2022 से समिति के सदस्य के रुप में नामनिर्दिष्ट हुए।

@ 16 दिसम्बर, 2022 से समिति के सदस्य के रुप में नामनिर्दिष्ट हुए।

प्राक्कथन

मैं, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी चौबीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. चौबीसवां प्रतिवेदन 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया था । इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर 29 जून, 2022 को प्राप्त हो गये थे।

3. समिति ने 13 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

4. समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है ।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं ।

नई दिल्ली; **जगदम्बिका पाल,**
13 मार्च, 2023 **सभापति,**
22 फाल्गुन, 1944 (शक) **ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति**

अध्याय - एक

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में समिति (2021-22) के चौबीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है ।

2. चौबीसवां प्रतिवेदन 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन में 13 सिफारिशें/टिप्पणियां अंतर्विष्ट थीं।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं। इन्हें निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

क्रम सं. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 कुलः 11

अध्याय-दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

-शून्य- कुलः 00

अध्याय-तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

क्रम सं. 1 और 6 कुलः 02

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य- कुलः 00

अध्याय-पांच

4. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई विवरण इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर समिति को भेज दिया जाए ।

5. अब समिति सरकार द्वारा उनकी उन टिप्पणियों/सिफारिशों जिन्हें दोहराए जाने या जिन पर गुण-अवगुण के आधार पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है, पर की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

(सिफारिश क्र.सं. 1)

6. समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:

"नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। समिति ने यह नोट किया है कि नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1981 में आयोग के रूप में एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया जिसे 1982 में एक विभाग बना दिया गया और 1992 में यह विभाग गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बन गया। यह आश्चर्यजनक है कि मंत्रालय जो 30 वर्षों से अस्तित्व में है, के पास अपने दिशानिर्देश तैयार करने और उन्हें जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सही है कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी रखने के लिए ग्रिड से जुड़ी विद्युत संबंधी कार्यकलापों को एक ही प्रशासनिक इकाई के तहत रखा जाना चाहिए। तथापि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को पारेषण और वितरण पर ध्यान दिए बगैर केवल नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन हेतु उत्तरदायी बनाए रखने से सही जानकारी सामने नहीं आ पाती। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में भारत का अग्रणी स्थान है और भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 500 गीगावाट तक वृद्धि करने और इस संबंध में वर्ष 2070 तक कार्बन के उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती

है कि विद्युत से जुड़ी सभी केंद्रीय प्रशासनिक इकाईयों को सुव्यवस्थित बनाया जाए और विद्युत क्षेत्र में तालमेल स्थापित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए ताकि प्रशासनिक सुविधा हेतु और इस क्षेत्र में संबंधित सभी मामलों में नीति निर्माण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सभी स्रोतों से विद्युत के पारेषण और वितरण को एक ही प्रशासनिक मंत्रालय के तहत लाया जा सके और इससे संबंधित सभी मामलों में नीति निर्माण में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस दिशा में पहल करे और समिति को परिणाम से अवगत कराए।"

7. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:

"सचिव, एमएनआरई ने दिनांक 16.03.2020 के अ.शा. पत्र सं. 8/4/2020-ईएफएम के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिव को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखा था कि कार्य आवंटन नियमावली 1961 के तहत एमएनआरई को आवंटित कार्य क्षेत्र में संशोधन किया जाए। संशोधन करने के लिए किए गए अनुरोध में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे:

i. विभिन्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों [सौर; पवन; बायोमास (द्रव जैव ईंधन को छोड़कर); अपशिष्ट से ऊर्जा; ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा सहित महासागरीय ऊर्जा; भूतापीय ऊर्जा; और 25 मेगावाट एवं उससे कम क्षमता की पनबिजली परियोजनाएं] के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन सहित उनके विकास एवं स्थापना से संबंधित सभी मामले;

ii. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास;

iii. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निर्माण से संबंधित नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करना एवं उनका कार्यान्वयन करना;

iv. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की गई और दिनांक 18.05.2020 के अ.शा. पत्र सं. 1/21/4/2020-मंत्रिमंडल के माध्यम से नीति

आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि सहित हितधारक मंत्रालयों/विभागों के साथ आगे अंतर-मंत्रालयी परामर्श करने की सलाह दी गई। मामले की समीक्षा करने के लिए अपर सचिव, एमएनआरई की अध्यक्षता में एक आंतरिक समिति बनाई गई है। विस्तृत प्रस्ताव पुनः मंत्रिमंडल सचिवालय को विचारार्थ भेजा जाएगा।"

8. समिति ने सिफारिश की थी कि प्रशासनिक सुविधा और विद्युत क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों में नीति निर्माण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए विद्युत से जुड़ी सभी केंद्रीय प्रशासनिक इकाईयों को सुव्यवस्थित किया जाए ताकि सभी स्रोतों से विद्युत के उत्पादन के साथ-साथ पारेषण और वितरण को एक ही प्रशासनिक मंत्रालय के तहत लाया जाए। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि इसने मंत्रिमंडल सचिव से कार्य आवंटन नियमावली 1961 के तहत मंत्रालय को आवंटित कार्य क्षेत्र में संशोधन करने का अनुरोध किया था लेकिन मंत्रिमंडल सचिवालय ने नीति आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि सहित हितधारक मंत्रालयों/विभागों के साथ आगे अंतर-मंत्रालयी परामर्श करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने आगे यह भी बताया है कि मामले की समीक्षा करने के लिए अपर सचिव की अध्यक्षता में एक आंतरिक समिति बनाई गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस दिशा में कि गई पहलों के परिणाम से समिति को अवगत कराए।

(सिफारिश क्र.सं. 5)

9. समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:

"समिति नोट करती है कि इस वर्ष के अंत तक प्राप्त किए जाने वाले 40 गीगावाट के समग्र लक्ष्य की तुलना में देश में 5.87 गीगावाट की रूफ-टॉप सौर परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं जो लक्ष्य के 15 प्रतिशत से भी कम है। समिति सोलर रूफ-टॉप कार्यक्रम के संबंध में मंत्रालय के कमजोर निष्पादन से चिंतित है और यह मानती है कि इस क्षेत्र में मंत्रालय के अभी

तक के निष्पादन को देखते हुए 40 गीगावाट क्षमता की संस्थापना हेतु सोलर रूफ-टॉप लक्ष्य को इतनी धीमी गति के साथ 2022 के अंत तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह पाया गया है कि बुनियादी स्तर पर सूचना उपलब्ध नहीं होने, जनता में इस योजना के बारे में जागरूकता की कमी, इसे संस्थापित करने में लगने वाला समय और जटिल प्रक्रियाओं, राजसहायता के संवितरण में होने वाले विलंब आदि के कारण रूफ-टॉप सिस्टम उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक साबित नहीं हो पा रहे हैं। अत: समिति सिफारिश करती है कि:

i) मंत्रालय को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में राजसहायता संवितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को लागू करने की संभावना का पता लगाना चाहिए ताकि इस प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल एवं तेज बनाया जा सके।

ii) मंत्रालय को सरकार द्वारा सौर रूफ-टॉप विद्युत प्रणाली के लिए प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने के लिए देशी भाषाओं में मुद्रित सभी समाचार-पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर व्यापक रूप से प्रचार करना चाहिए।

iii) देश के सभी जिलों में वन-स्टॉप-सॉल्यूशन सेंटर्स बनाए जाने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सहायता/सेवाएं/सूचना उपलब्ध कराई जा सके और उन्हें निर्बाध रूप से सौर रूफ टॉप प्रणाली अधिष्ठापित कराने की सुविधा प्रदान की जा सके।"

10. अपने की गई कार्रवाई-संबंधी उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:

"रूफटॉप सौर लगाने के इच्छुक उपभोक्ताओं में जागरुकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने देशभर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के लिए विद्युत मंत्रालय और एमएनआरई के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कार्य में लगाया है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवंटित किए गए हैं, जहाँ उन्हें होर्डिंग, पोस्टर लगाने, लीफलेट, ब्रॉशर का वितरण करने, नुक्कड़ नाटक आयोजित करने,

रेडियो जिंगल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लघु वीडियो के साथ-साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जागरुकता लाने सहित जागरुकता क्रियाकलाप संचालित करना है। ये क्रियाकलाप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहले से संचालित किए जा रहे जागरुकता क्रियाकलापों के अतिरिक्त होंगे।

साथ ही, एमएनआरई की सब्सिडी योजना के तहत उपभोक्ताओं द्वारा रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल एवं तेज करने के लिए मंत्रालय ने इसकी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। एक राष्ट्रीय पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जहां रूफटॉप सौर स्थापित करने के इच्छुक आवासीय उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और संबंधित डिस्कॉम से तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार, उपकरणों की गुणवत्ता (सौर मॉड्यूल/ इन्वर्टर/ संरचना) का चयन करते हुए रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित कर सकते हैं बशर्ते कि एमएनआरई के न्यूनतम विनिर्देशनों को पूरा किया गया हो। आवासीय उपभोक्ता अपनी पसंद के किसी पंजीकृत वेंडर द्वारा सौर रूफटॉप प्रणाली की स्थापना करवा सकते हैं। संयंत्र की स्थापना के उपरांत, उपभोक्ता पोर्टल पर ब्यौरे को अपलोड करेगा। उसके बाद, संबंधित डिस्कॉम नेट मीटर स्थापित करेगा और राष्ट्रीय पोर्टल पर स्थापना के बारे में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। डिस्कॉम से सफल स्थापना और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

राष्ट्रीय पोर्टल रूफटॉप सौर स्थापित करने के इच्छुक आवासीय उपभोक्ताओं के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा और इन उपभोक्ताओं को सभी संबंधित जानकारी राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।"

11. समिति ने रूफटॉप सौर कार्यक्रम में मंत्रालय के कमजोर प्रदर्शन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि जमीनी स्तर पर जानकारी की अनुपलब्धता, जनता के बीच इस योजना के बारे में जागरूकता की कमी, समय लेने वाली और इसे स्थापित करने की जटिल प्रक्रियाओं और राजसहायता के

संवितरण में विलंब आदि के कारण रूफटॉप सिस्टम उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक साबित नहीं हो रहे हैं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा है कि उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूरे देश में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के लिए नियुक्त किया है और ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए गए है जिसमें उन्हें जागरूकता कार्यकलाप संचालित करने हैं। मंत्रालय ने आगे कहा है कि प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और तेज बनाने के लिए, एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जा रहा है जो आवासीय उपभोक्ताओं के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में काम करेगा जो रूफटॉप सौर स्थापित करने के इच्छुक हैं।

समिति रूफटॉप सौर स्थापित करने की प्रक्रिया में उपभोक्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है। तथापि, मंत्रालय को जागरूकता अभियान के लिए प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यकलापों और इस संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके प्रभाव के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा, समिति को राष्ट्रीय पोर्टल की वर्तमान स्थिति के बारे में भी अवगत कराया जाना चाहिए।

<u>सिफारिश संख्या 6</u>

12. समिति ने निम्नवत सिफारिश की है:

"समिति नोट करती है कि ऑफ-ग्रिड एवं विकेंद्रित सौर अनुप्रयोग कार्यक्रम को मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 की तिथि से समाप्त कर दिया गया है। इस कार्यक्रम का आरंभ निम्न क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए किया गया ऐसे क्षेत्र जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली नहीं पहुंची है या बिजली आपूर्ति में सुनिश्चितता नहीं है; उत्तर-पूर्वी राज्यों के पिछड़े और दूर-दराज वाले क्षेत्र; वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) से प्रभावित जिले आदि।

यद्यपि इस कार्यक्रम के उद्देश्य अत्यंत प्रशंसनीय थे, किंतु समिति यह देखकर क्षुब्ध है कि इस कार्यक्रम को अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के बिना समाप्त कर दिया गया। मंत्रालय ने निवेदन किया है कि इस योजना के संबंध में दिशा-निर्देश को अगस्त, 2008 में जारी किया गया और इसके कार्यान्वयन में आम चुनाव, 2019 हेतु आचार संहिता के लागू हो जाने और कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण विलंब हुआ। मंत्रालय द्वारा बताए गए कारणों से यह स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत के पश्चात इसे पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इसी प्रकार, अटल ज्योति योजना (अजय) को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वर्ष 2020 में सरकार द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) योजना को रोक दिया गया था। किंतु, नवंबर, 2021 में एमपीलैड योजना के पुन: शुरू किए जाने के बावजूद भी अजय योजना को पुन: लागू नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑफ ग्रिड एवं विकेन्द्रित और अनुप्रयोग के माध्यम से पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ऊर्जा की सुगमता बढ़ाई जा सकती है, समिति सिफारिश करती है कि ऑफ-ग्रिड एवं विकेन्द्रित और अनुप्रयोग कार्यक्रम तथा अजय योजना को पुनः लागू किया जाना चाहिए। मंत्रालय को जमीनी स्तर पर इन कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए इनका मूल्यांकन करना चाहिए और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को शामिल करना चाहिए।"

13. अपने की गई कार्रवाई-संबंधी उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत कहा है:

"मंत्रालय में ऑफग्रिड सौर सेक्टर के तहत विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही थी। इनमें संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमपीलैड) से आंशिक वित्त पोषण का उपयोग करते हुए सौर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराने के लिए अटल ज्योति योजना; सौर स्ट्रीट लाइट, सौर स्टडी लैम्प और सौर पावर पैक्स उपलब्ध कराने के लिए ऑफग्रिड एवं विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण-III; और संकेन्द्रित सौर तापीय प्रौद्योगिकी संबंधी योजना शामिल है। ये सभी योजनाएं

01.04.2021 से पहले बंद कर दी गई हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की पुनर्बहाली और कोविड-19 महामारी में सुधार के साथ मंत्रालय ने उपर्युक्त पूर्व योजनाओं के तहत शामिल सभी ऑफग्रिड अनुप्रयोगों को शामिल करते हुए, ऑफग्रिड सौर पीवी/तापीय अनुप्रयोगों के साथ-साथ डीआरई आजीविका अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। प्रारूप ईएफसी नोट तैयार कर लिया गया है और यह अनुमोदन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने अपनी ऑफग्रिड योजनाओं का तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन करवाया है और मूल्यांकन की सिफारिशें प्रस्तावित योजना में उपयुक्त रूप से शामिल की गई हैं।"

14. समिति की इस सिफारिश के उत्तर में कि ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रयोग कार्यक्रम और अजय योजना को फिर से शुरू किया जाना चाहिए, मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है कि उसने ऑफ-ग्रिड सौर पीवी/थर्मल अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) नोट का मसौदा भी तैयार किया गया है जो अनुमोदन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने आगे कहा है कि इसकी ऑफ-ग्रिड योजनाओं का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया है और मूल्यांकन की सिफारिशों को प्रस्तावित योजना में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

समिति का मानना है कि अटल ज्योति योजना जैसी ऑफ-ग्रिड सौर स्कीमें; सौर स्ट्रीट लाइट, सौर अध्ययन लैंप और सौर ऊर्जा पैक प्रदान करने के लिए ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम और केंद्रित सौर थर्मल प्रौद्योगिकियों पर योजना, जिसमें पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने की क्षमता है, 1 अप्रैल, 2021 से पहले बंद कर दिया गया था। हालांकि, मंत्रालय ने डीआरई आजीविका आवेदनों के साथ-साथ पिछली योजनाओं के तहत कवर किए गए सभी ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों को कवर

करते हुए ऑफ-ग्रिड सौर पीवी/थर्मल अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है, लेकिन यह अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

इसलिए समिति अपनी सिफारिश और इच्छा को दोहराती है कि नई व्यापक योजना में ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर अनुप्रयोग कार्यक्रम और अजय योजना के सभी घटक शामिल हैं और नई योजना का अनुमोदन प्राथमिकता पर किया जाता है। समिति को संबंधित पिछले कार्यक्रमों के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की सिफारिशों से संबंधित विवरणों के बारे में भी अवगत कराया जाना चाहिए।

<u>सिफारिश संख्या 7</u>

15. समिति ने निम्नवत सिफारिश की है:

"समिति नोट करती है कि पीएम-कुसुम योजना का लक्ष्य 34,000 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से वर्ष 2022 के अंत तक सौर क्षमता में 30.80 गीगावाट की वृद्धि करना है। समिति पाती है कि कंपोनेंट-ए के तहत ग्रिड-संपृक्त और विद्युत संयंत्रों के 1000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में, मात्र 27.75 मेगावाट ही अधिष्ठापित किया जा सका। कंपोनेंट-बी के तहत, 20 लाख स्वतंत्र सौर पंपों के लक्ष्य की तुलना में, मात्र 78,940 पंप ही अधिष्ठापित किए गए हैं। कंपोनेंट-सी के तहत 15 लाख ग्रिड-संपृक्त सौर कृषि पंपों के लक्ष्य की तुलना में मात्र 1026 पंप ही सौर ऊर्जा से चलाए जा रहे हैं। समिति इस योजना के तहत मंत्रालय के निराशाजनक प्रदर्शन से अत्यंत क्षुब्ध है। यह पाया गया है कि किसानों को लघु सौर संयंत्रों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अधिकांश राज्य इस योजना के तहत अपने हिस्से की राजसहायता उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि उसने फीडर लेवल सोलराइजेशन आरंभ किया है और कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है। समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने ऐसी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है जो इस योजना के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते रहे हैं।

पर्याप्त धनराशि की कमी की समस्या का समाधान करने एवं किसानों के वित्तीय भार को और कम करने के लिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय किसानों के हिस्से की धनराशि का भुगतान एमपीलैड योजना के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान करे। मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ भी समन्वय स्थापित करना चाहिए और परामर्श करना चाहिए तथा राज्य सरकारों को इस योजना में भागीदारी करने हेतु सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए।"

16. अपने की गई कार्रवाई-संबंधी उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत कहा है:

"पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के तहत लघु सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों की वित्त व्यवस्था के लिए मंत्रालय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग के साथ बातचीत कर रहा है। इसके फलस्वरूप अनेक बैंकों ने पीएम-कुसुम और रूफटॉप सौर को वित्तपोषित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों को आम जन की जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के तहत किसानों के ऋण आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए पीएम-कुसुम पोर्टल में वेब पेज तैयार किया गया है जिस पर किसान ऋण के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके बाद इस आवेदन को संबंधित बैंक के पास अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है।

व्यक्तिगत पंपों के लिए घटक-ख और ग के तहत मंत्रालय, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 30 प्रतिशत उपलब्ध करा रहा है, कम-से-कम 30 प्रतिशत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से और शेष हिस्सा किसानों से लिया जाता है। चूंकि योजना के दिशानिर्देशों में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, अतः एमएनआरई ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए नोडल मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से घटक-ख और ग के तहत किसानों का हिस्सा उपलब्ध कराने के संबंध में अनुरोध किया है कि वह यह स्पष्ट करे कि क्या पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख और ग के

तहत किसानों के अंशदान को संबंधित संसद सदस्य की सिफारिश के आधार पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से उपलब्ध कराया जा सकता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर पीएम-कुसुम दिशानिर्देशों में तद्नुसार संशोधन किया जाएगा।

मंत्रालय, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न घटकों की संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ-साथ वेंडरों के साथ पीएम-कुसुम योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा कर रहा है, जहाँ योजना कार्यान्वयनाधीन है और प्राप्त फीडबैक के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।"

17. पीएम-कुसुम योजना के बारे में समिति ने छोटे सौर संयंत्रों के लिए किसानों को बैंकों से वित्त नहीं मिल पाने का मुद्दा उठाया था। अपनी की गई कार्रवाई-संबंधी उत्तर में, मंत्रालय ने किसानों के लिए वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए उसके द्वारा की गई पहलों के बारे में बताया है, जिसके परिणामस्वरूप कई बैंकों ने पीएम-कुसुम और रूफटॉप सौर के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश/उत्पाद जारी किए हैं, जिन्हें आम जनता की जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। मंत्रालय ने आगे कहा है कि पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के तहत किसानों के ऋण आवेदनों की त्वरित प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, पीएम-कुसुम पोर्टल में एक वेब पेज बनाया गया है जिसमें एक किसान ऋण के लिए अपना आवेदन दर्ज कर सकता है और इस आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक को अग्रेषित किया जाता है। समिति इस संबंध में मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है और आशा करती है कि समिति को योजना के कार्यान्वयन की स्थिति में सुधार लाने में इन पहलों के प्रभाव के बारे में अवगत कराया जाएगा।

समिति की इस सिफारिश के उत्तर में कि मंत्रालय को एमपीलैड योजना के माध्यम से किसानों के हिस्से की निधियों के भुगतान की अनुमति देनी चाहिए,

मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है कि उसने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि क्या पीएम-कुसुम योजना घटक-ख और ग के तहत किसान का योगदान एमपीलैड निधि से प्रदान किया जा सकता है। मंत्रालय ने आगे कहा है कि एमओएसपीआई से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, पीएम-कुसुम दिशानिर्देशों को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। समिति को एमओपीएसआई के स्पष्टीकरण और योजना के दिशानिर्देशों में बाद के किसी भी संशोधनों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए।

अध्याय - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

सिफारिश सं. 2

समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 11449 करोड़ रूपए की बजटीय आवश्यकता का अनुमान लगाया है, लेकिन वास्तव में केवल 6900.68 करोड़ आबंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। समिति का कहना है कि मंत्रालय का लगभग 73 प्रतिशत बजट केवल दो घटकों अर्थात सौर ऊर्जा (ग्रिड) और 'कुसुम' योजना के लिए आबंटित किया गया है। इसके अलावा, बजट का लगभग 20 प्रतिशत पूर्व देयताओं को पूरा करने और ब्याज का भुगतान करने के लिए आबंटित किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि मंत्रालय केवल दो कार्यक्रमों अर्थात ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा, जिसमें 'रूफटॉफ' और 'कुसुम' योजना शामिल है, पर ही सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। तथापि, मंत्रालय ने यह बताया है कि देश में ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा की अधिकांश परियोजनाओं को बिना किसी केंद्रीय वित्तीय सहायता के निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछले रुझानों से यह भी पता चलता है कि मंत्रालय पिछले वर्षों के दौरान अपने बजटीय आबंटनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाया। इसका तात्पर्य यह है कि आबंटित निधियां आवश्यकता से अधिक है और मंत्रालय वित्त मंत्रालय द्वारा आबंटन की प्रक्रिया के दौरान अपनी मांगों का औचित्य स्पष्ट नहीं कर सका है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को आगामी वित्त वर्ष के दौरान अपने आबंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए और तत्पश्चात अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए और अधिक निधियों के आबंटन की आवश्यकता का औचित्य स्पष्ट करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

समिति के सुझावों को नोट कर लिया गया है। मंत्रालय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट आबंटन का पूर्ण उपयोग करने पर ध्यान देगा। यह सही है कि अधिकांश ग्रिड संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया

के माध्यम से निजी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। तथापि, मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत इस समय उपलब्ध कराई जा रही केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे **अनुबंध-एक** में दिए गए हैं। जैसा कि पहले सूचित किया गया है, बायोमास, एसएचपी, बायोगैस आदि जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं अभी अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं, इसलिए निधियों का आबंटन लंबित देयताओं को पूरा करने के लिए किया गया है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. 151/1/2022-पीएंडसी दिनांकः 28 जून, 2022]

<u>सिफारिश सं. 3</u>

समिति ने नोट किया है कि पिछले वर्षों के दौरान मंत्रालय को संशोधित अनुमानों के स्तर पर कुल बजटीय सहायता में काफी कमी आई है। वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 हेतु बजट आबंटन में क्रमश: लगभग 26 प्रतिशत और 38 प्रतिशत की कटौती की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, हालांकि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि संशोधित अनुमान में 1928.80 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इक्विटी इन्फ्यूजन के रूप में भारत सरकार द्वारा दिए गए क्रमश: 1500 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ रुपए शामिल है। इसलिए, 2021-22 के लिए संशोधित अनुमानों के समय भी मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए बजटीय सहायता में वास्तविक कमी आ गई है। समिति ने यह पाया है कि मंत्रालय पिछले वर्षों के दौरान कम किए गए आबंटनों का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाया है। मंत्रालय वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (जनवरी, 2022 तक) के दौरान संशोधित बजटीय आबंटनों का क्रमश: 91.53 प्रतिशत, 86.24 प्रतिशत और 61.75 प्रतिशत ही उपयोग कर पाया है। समिति को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ है कि इस तरह के महत्वपूर्ण और प्रगतिशील क्षेत्र में निधियां खर्च नहीं की जाती है। इसके अलावा, निधियों की मांग, आबंटन और वास्तविक उपयोग में इस तरह की विसंगति स्पष्ट रूप से मंत्रालय द्वारा खराब वित्तीय नियोजन की ओर इशारा करती है। इसलिए, समिति

सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपनी बजट निर्माण प्रक्रिया सुव्यवस्थित करनी चाहिए ताकि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित निधियों का एक यथार्थवादी और आवश्यकता-आधारित अनुमान प्रस्तुत किया जा सके और आबंटित निधियों के बेहतर उपयोग के लिए इसकी प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि की जा सके।

सरकार का उत्तर

समिति के सुझावों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। मंत्रालय बजट निर्माण प्रक्रिया में पूरी तत्परता के साथ कार्य करने का प्रयास करेगा। वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय, संशोधित अनुमान का लगभग 88 प्रतिशत था। विगत तीन वर्षों अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोविड के कारण, विद्युत खरीद करारों (पीपीए) पर पुनः बातचीत के कारण और इसके बाद की मुकदमेबाजी के कारण देरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से परियोजनाएं प्राप्त न होने के कारण व्यय में कमी आई थी।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. 151/1/2022-पीएंडसी दिनांकः 28 जून, 2022]

सिफारिश सं. 4

समिति नोट करती है कि 31 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार देश में 105.85 गीगावॉट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित की गई है, जो 175 गीगावाट के समग्र लक्ष्य का लगभग 60 प्रतिशत है। समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि मंत्रालय अपने वार्षिक वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार विफल रहा है। वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए 15,555 मेगावाट, 12,252 मेगावाट और 12,880 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की तुलना में, मंत्रालय क्रमश: लगभग 44 प्रतिशत, 28 प्रतिशत और 42 प्रतिशत की कमी के साथ केवल 8,760.57 मेगावाट, 8,843.29 मेगावाट और 7,549.64 मेगावाट क्षमता ही प्राप्त कर सका। इसी प्रकार, वर्ष 2021-22 के दौरान 19,635.90 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2022 तक 10,050.74 मेगावाट नवीकरणीय विद्युत ही संस्थापित की जा सकी जो कि दिए गए लक्ष्य

का केवल 51 प्रतिशत है। समिति यह अनुभव करती है कि सौपें गए वार्षिक वास्तविक लक्ष्यों को निरंतर प्राप्त न करने के कारण, यह पूरी तरह असंभव लगता है कि वर्ष 2022 के अंत तक 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। मंत्रालय का कार्य-निष्पादन नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के संबंध में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दर्शायी गई हमारी महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं और की गई घोषणाओं के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। इतनी कम उपलब्धि को देखते हुए मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। वर्ष 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट करने की भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, समिति आशा करती है कि मंत्रालय अपने कार्य करने की गति को बढ़ाएगा और समिति मंत्रालय को लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के लिए जिम्मेदार कारकों का बारीकी से आकलन और जांच करने तथा बिना किसी देरी के सुधारात्मक उपाय करने की सिफारिश करती है ताकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। मंत्रालय को परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भी करनी चाहिए और उन्हें चालू करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन भी सुनिश्चित करना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल नवीकरणीय ऊर्जा में 14.08 गीगावाट की और सौर ऊर्जा में 12.76 गीगावाट की उच्च क्षमता वृद्धि दर्ज की गई है। दिनांक 31.05.2022 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल मिलाकर 159.95 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़ी पन बिजली सहित) स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त, 61.19 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 18.07 गीगावाट की परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एमएनआरई नियमित रूप से सौंपी गई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की निगरानी करता है। इसके अलावा हितधारकों के परामर्श से समय-समय पर नीति/दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन और परिवर्तन किये जा रहे हैं। कोविड के कारण वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में परियोजनाएं पूरी होने में विलंब

हुआ। इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2021 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने के लिए पारेषण लाइनों को भूमिगत करने के आदेश दिया। इससे इन दो राज्यों में बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इससे विलंब हुआ है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. 151/1/2022-पीएंडसी दिनांकः 28 जून, 2022]

सिफारिश सं. 5

समिति नोट करती है कि इस वर्ष के अंत तक प्राप्त किए जाने वाले 40 गीगावाट के समग्र लक्ष्य की तुलना में, देश में 5.87 गीगावॉट की रूफ-टॉप सौर परियोजनाएं संस्थापित की गई है, जो लक्ष्य के 15 प्रतिशत से भी कम है। समिति सोलर रूफ-टॉप कार्यक्रम के संबंध में मंत्रालय के अल्प कार्य-निष्पादन से चिंतित है और यह मानती है कि इस क्षेत्र में मंत्रालय के अभी तक के निष्पादन को देखते हुए, 40 गीगावॉट क्षमता की संस्थापना हेतु सोलर रूफ-टॉप लक्ष्य को इतनी धीमी गति के साथ 2022 के अंत तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह पाया गया है कि बुनियादी स्तर पर सूचना उपलब्ध नहीं होने, जनता में इस योजना के बारे में जागरूकता की कमी, इसे संस्थापित करने में लगने वाला समय और जटिल प्रक्रियाओं, राजसहायता के संवितरण में होने वाले विलंब आदि के कारण रूफ-टॉप सिस्टम उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक साबित नहीं हो पा रहे हैं। अत: समिति सिफारिश करती है कि:

i) मंत्रालय को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में राजसहायता संवितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को लागू करने की संभावना का पता लगाना चाहिए ताकि इस प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल एवं तेज बनाया जा सके।

ii) मंत्रालय को सरकार द्वारा सोलर रूफ-टॉप विद्युत प्रणाली के लिए प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने के लिए देशी

भाषाओं में मुद्रित सभी समाचार-पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर व्यापक रूप से प्रचार करना चाहिए।

iii) देश के सभी जिलों में वन-स्टॉप-सॉल्यूशन सेंटर्स बनाए जाने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सहायता/सेवाएं/सूचना उपलब्ध कराई जा सके और उन्हें निर्बाध रूप से सोलर रूफ टॉप प्रणाली संस्थापित कराने की सुविधा प्रदान की जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

रूफटॉप सौर लगाने के इच्छुक उपभोक्ताओं में जागरुकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने देश भर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के लिए विद्युत मंत्रालय और एमएनआरई के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कार्य में लगाया है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आबंटित किए गए हैं, जहाँ उन्हें होर्डिंग, पोस्टर लगाने, लीफलेंट, ब्रॉशर का वितरण करने, नुक्कड़ नाटक आयोजित करने, रेडियो जिंगल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लघु वीडियो के साथ-साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जागरुकता फैलाने का कार्य करना है। ये क्रियाकलाप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहले से संचालित किए जा रहे जागरुकता क्रियाकलापों के अतिरिक्त होंगे।

साथ ही, एमएनआरई की सब्सिडी योजना के तहत उपभोक्ताओं द्वारा रूफटॉप सौर की स्थापना की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल एवं तेज करने के लिए मंत्रालय ने इसकी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। एक राष्ट्रीय पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जहां रूफटॉप सौर स्थापित करने के इच्छुक आवासीय उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और संबंधित डिस्कॉम से तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार, उपकरणों की गुणवत्ता (सौर मॉड्यूल/इन्वर्टर/संरचना) का चयन करते हुए रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित कर सकते हैं बशर्ते कि एमएनआरई के न्यूनतम विनिर्देशनों को पूरा किया गया हो। आवासीय उपभोक्ता अपनी पसंद के किसी पंजीकृत विक्रेता द्वारा सौर रूफटॉप प्रणाली की स्थापना करवा सकते हैं। संयंत्र की स्थापना के उपरांत, उपभोक्ता पोर्टल पर ब्यौरे को अपलोड करेगा। उसके बाद, संबंधित डिस्कॉम नेट मीटर स्थापित करेगा और राष्ट्रीय पोर्टल पर स्थापना के बारे में निरीक्षण रिपोर्ट

प्रस्तुत करेगा। डिस्कॉम से सफल स्थापना और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

राष्ट्रीय पोर्टल रूफटॉप सौर स्थापित करने के इच्छुक आवासीय उपभोक्ताओं के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा और इन उपभोक्ताओं को सभी संबंधित जानकारी राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. 151/1/2022-पीएंडसी दिनांकः 28 जून, 2022]

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 11 देखें।)

सिफारिश सं. 7

समिति नोट करती है कि पीएम-कुसुम योजना का लक्ष्य 34,000 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से वर्ष 2022 के अंत तक सौर क्षमता में 30.80 गीगावाट की वृद्धि करना है। समिति ने पाया है कि कंपोनेंट-ए के तहत ग्रिड-संपृक्त और विद्युत संयंत्रों के 10000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में, मात्र 27.75 मेगावाट ही संस्थापित किया जा सका। कंपोनेंट-बी के तहत, 20 लाख स्वतंत्र सौर पंपों के लक्ष्य की तुलना में, मात्र 78,940 पंप ही संस्थापित किए गए हैं। कंपोनेंट-सी के तहत 15 लाख ग्रिड-संपृक्त सौर कृषि पंपों के लक्ष्य की तुलना में मात्र 1026 पंप ही सौर ऊर्जा से चलाए जा रहे हैं। समिति इस योजना के तहत मंत्रालय के निराशाजनक प्रदर्शन से अत्यंत क्षुब्ध है। यह पाया गया है कि किसानों को लघु सौर संयंत्रों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अधिकांश राज्य इस योजना के तहत अपने हिस्से की राजसहायता उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि उसने फीडर लेवल सोलराइजेशन आरंभ किया है और कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है। समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने ऐसी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है जो इस योजना के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते रहे हैं। पर्याप्त धनराशि की कमी की समस्या का समाधान करने एवं किसानों के वित्तीय भार को और कम करने के

लिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय किसानों के हिस्से की धनराशि का भुगतान एम-पीलैड योजना के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान करे। मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ भी समन्वय स्थापित करना चाहिए और परामर्श करना चाहिए तथा राज्य सरकारों को इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के तहत लघु सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों की वित्त व्यवस्था के लिए मंत्रालय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग के साथ बातचीत कर रहा है। इसके फलस्वरूप अनेक बैंकों ने पीएम-कुसुम और रूफटॉप सौर को वित्तपोषित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों को आम जन की जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के तहत किसानों के ऋण आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए पीएम-कुसुम पोर्टल में वेब पेज तैयार किया गया है जिस पर किसान ऋण के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद इस आवेदन को संबंधित बैंक के पास अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है।

व्यक्तिगत पंपों के लिए घटक-ख और ग के तहत मंत्रालय, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 30 प्रतिशत उपलब्ध करा रहा है, कम-से-कम 30 प्रतिशत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से और शेष हिस्सा किसानों से लिया जाता है। चूंकि योजना के दिशानिर्देशों में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, अतः एमएनआरई ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए नोडल मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से घटक-ख और ग के तहत किसानों का हिस्सा उपलब्ध कराने के संबंध में अनुरोध किया है कि वह यह स्पष्ट करे कि क्या पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख और ग के तहत किसानों के अंशदान को संबंधित संसद सदस्य की सिफारिश के आधार पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से उपलब्ध कराया जा सकता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से

स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर पीएम-कुसुम दिशानिर्देशों में तद्नुसार संशोधन किया जाएगा।

मंत्रालय, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहाँ योजना कार्यान्वयनाधीन है, में विभिन्न घटकों की संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ-साथ वेंडरों के साथ पीएम-कुसुम योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा कर रहा है, और प्राप्त फीडबैक के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. 151/1/2022-पीएंडसी दिनांकः 28 जून, 2022]

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 17 देखें।)

सिफारिश सं. 8

समिति नोट करती है कि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के कार्यक्रम और नए राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी) सहित जैव ऊर्जा कार्यक्रम को मंत्रालय द्वारा बंद कर दिया गया है। यह देखा गया है कि मंत्रालय 2019-20 से बायोमास बिजली के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है, हालांकि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के कार्यक्रम के तहत, वास्तविक भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है लेकिन कम धनराशि का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, एनएनबीओएमपी के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की व्यापक योजना के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था लेकिन वित्त मंत्रालय प्रस्ताव से सहमत नहीं था। समिति को अवगत कराया गया है कि नगरपालिका अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के क्षेत्र में प्रगति हो रही है और मंत्रालय को नगर निगम के कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने के 27 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। समिति चाहती है कि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के कार्यक्रम को जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि ऊर्जा उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्ट/अवशेषों का उपयोग करने से पराली जलाने को कम करने और उससे वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने का अतिरिक्त लाभ मिलता है। इसी तरह, बायोगैस

संयंत्र न केवल ग्रामीण लोगों की खाना पकाने की ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं बल्कि उन्हें आर्गेनिक जैव-खाद भी प्रदान करते हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ काम करना चाहिए और इन कार्यक्रमों को जारी रखने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए।

सरकार का उत्तर

दिनांक 22.09.2021 को आयोजित ईएफसी बैठक में, यह सिफारिश की गई थी कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को केवल पहले की रह गई देनदारियों को पूरा करने के लिए जारी रखा जा सकता है और इस कार्यक्रम की उप-योजनाओं के तहत कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की जा सकती है। इसके अलावा हमारा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को 31.03.2021 से आगे और वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए लगातार अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। इस संबंध में, एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखने के लिए व्यय विभाग (डीओई) को एक संशोधित ईएफसी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। दिनांक 27.06.2022 को व्यय सचिव की अध्यक्षता में आयोजित ईएफसी की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। बैठक का कार्यवाही-सारांश जारी किया जाना है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. 151/1/2022-पीएंडसी दिनांकः 28 जून, 2022]

सिफारिश सं. 9

समिति नोट करती है कि लघु जल विद्युत कार्यक्रम को दिनांक 31 मार्च, 2017 से बंद कर दिया गया था और तब से, बजट आबंटन का उपयोग केवल पुरानी देनदारियों का निपटान करने के लिए किया गया है। मंत्रालय ने समिति को अवगत कराया है कि लघु पन बिजली के लिए एक नई योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह योजना जल्द ही लागू किए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय के पास पिछले पांच वर्षों से लघु जल विद्युत के लिए कोई योजना नहीं है और यह अभी भी प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में, समिति

सिफारिश करती है कि मंत्रालय को पिछले लघु जल विद्युत कार्यक्रम के तहत अपने कार्य-निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के बाद कि पिछले कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले कारकों को नई योजना में दूर कर लिया गया है, समयबद्ध तरीके से नई योजना बनानी चाहिए।

सरकार का उत्तर

ईएफसी ने दिनांक 04.05.2022 को आयोजित अपनी बैठक में 3100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ '2022-23 से 2025-26' की अवधि के लिए लघु पन बिजली विकास योजना' और नई लघु पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के माध्यम से 1000 मेगावाट की समग्र क्षमता का मूल्यांकन और सिफारिश की है। इस संबंध में कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. 151/1/2022-पीएंडसी दिनांकः 28 जून, 2022]

सिफारिश सं. 10

समिति नोट करती है कि 3200 सीकेएम पारेषण लाइनों की कुल लम्बाई और 17000 एमवीए सब-स्टेशनों वाले हरित ऊर्जा गलियारे (जीईसी) के अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) घटक को पूरा कर लिया गया है, जबकि जीईसी परियोजना के अंतर-राज्यीय घटक, जो संबंधित राज्य के राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, में विलंब हुआ है और कई बार समय-सीमा बढ़ाई गई है। समिति का मानना है कि 31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार 9700 सीकेएम के कुल लक्ष्य में से कुल 8468 सीकेएम पारेषण लाइनों का निर्माण किया गया है और कुल 22600 एमवीए के लक्ष्य में कुल 15268 एमवीए सब-स्टेशनों को चार्ज किया गया है। इसका तात्पर्य है कि 30 जून, 2022 की बढ़ाई हुई समय-सीमा में कार्य पूरा करने के लिए 1232 सीकेएम पारेषण लाइनों का निर्माण किया जाना है और 7332 एमवीए सब-स्टेशन को चार्ज करने की आवश्यकता है। समिति जीईसी के अंतर्राज्यीय घटक के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब से चिंतित है। नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न राज्यों से बिजली लेने की परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुये, समिति सिफारिश करती है कि

मंत्रालय को संबंधित राज्यों के साथ इस मामले को उठाना चाहिए और दी गई समय-सीमा के भीतर हरित ऊर्जा गलियारा तैयार करना चाहिए ताकि ग्रिड पर दबाव से बचा जा सके और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त की जा सके।

सरकार का उत्तर

जीईसी परियोजना के अंतर-राज्यीय हिस्से में विभिन्न कारणों से विलंब हुआ जैसे मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) मामलों, अदालती मामलों, वन मंजूरी, सब-स्टेशन भूमि अधिग्रहण में देरी, विभिन्न परियोजनाओं में बोली कम लगने के कारण कई बार पुनः निविदा जारी की गई, जिससे कार्य आवंटन में देरी हुई है। मंत्रालय और सीईए परियोजनाओं की प्रगति संबंधी निगरानी करते हैं। सचिव, एमएनआरई की अध्यक्षता में राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों (राज्य पारेषण यूटिलिटी) और संबंधित प्रधान सचिवों के साथअंतर-राज्य हरित कॉरिडोर चरण-I पर दिनांक 22मार्च, 2022 को एक समीक्षा बैठक की गई थी। मंत्रालय राज्यों को इस योजना को तेजी से पूरा करने के लिए सहमत करने हेतु हर संभव प्रयास करेगा।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. 151/1/2022-पीएंडसी, दिनांकः 28 जून, 2022]

सिफारिश क्र.सं. 11

समिति नोट करती है कि मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए अपने वार्षिक बजट के 10 प्रतिशत के उपयोग के संबंध में अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाया है। वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 504.53 करोड़ रु., 375 करोड़ रु. और 335 करोड़ रु. के संशोधित प्राक्कलनों की तुलना में क्रमशः 122.41 करोड़ रु., 128.09 करोड़ रु. और 107.41 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं, जिससे क्रमशः 76 प्रतिशत, 66 प्रतिशत और 68 प्रतिशत राशि अव्यतित रह गई। 2021-22 के लिए 499 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान की तुलना में 31 जनवरी, 2022 तक केवल 38.62 करोड़ रु. का ही उपयोग किया गया है। यह बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधि के उपयोग में काफी कमी आई है। यह देखा

गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटी पनबिजली की पर्याप्त संभावनाएं हैं; हालांकि, मंत्रालय का लघु-पनबिजली कार्यक्रम अप्रैल, 2017 से विचाराधीन है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्य मंत्रालय की ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकृत योजनाओं में रुचि रखते हैं, लेकिन, मंत्रालय द्वारा अटल ज्योति योजना (अजय) जैसी योजना, ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम आदि को बंद कर दिया गया है/रोक दिया गया है। समिति यह नोट करके हैरान है कि एक ओर मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्तावों की कमी के बारे में शिकायत कर रहा है और दूसरी ओर, संबंधित योजनाएं या तो लगभग पांच वर्षों से विचाराधीन हैं या बंद कर दी गई हैं या उन्हें रोक दिया गया है। अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को ऑफ-ग्रिड/विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रयोगों और लघु जल विद्युत के लिए नई योजनाओं/कार्यक्रमों को तैयार करते समय पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकताओं पर समुचित विचार करना चाहिए और उन्हें उचित प्राथमिकता देनी चाहिए और इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

समिति के सुझावों को यथावत नोट कर लिया गया है। मंत्रालय निर्धारित पूर्वोत्तर कोष का अधिकतम उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ईएफसी द्वारा दिनांक 04.05.2022 को आयोजित अपनी बैठक में '2022-23 से 2025-26' की अवधि के लिए 3100 करोड़ रुपये के परिव्यय और 1000 मेगावाट की समग्र क्षमता के साथ लघु पन बिजली विकास योजना' को जारी रखने के लिए एक ईएफसी ज्ञापन का आकलन और सिफारिश की गई थी। इस संबंध में कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है। अटल ज्योति योजना चरण-2 को 31 मार्च, 2020 को बंद कर दिया गया था, क्योंकि भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एमपीएलएडी फंड पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, मंत्रालय एमपीएलएडी फंड की शुरुआत से ही, एमपीएलएडी फंड से आंशिक वित्त पोषण द्वारा सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करने सहित एक व्यापक योजना तैयार कर रहा है। इसी तरह, ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी कार्यक्रम चरण 3 को शुरू में 31 मार्च, 2020 तक के लिए रखा गया था, हालांकि, कोविड-19 महामारी को देखते हुए,

कार्यक्रम को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। चरण-3 के तहत कवर किए गए आवेदनों में स्ट्रीट लाइट, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सोलर स्टडी लैंप और सार्वजनिक संस्थानों के लिए सोलर पावर पैक शामिल हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मंत्रालय एमपीएलएडी फंड से आंशिक वित्त पोषण द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट को कवर करते हुए एक व्यापक ऑफ-ग्रिड अक्षय ऊर्जा योजना, राज्य/लाभार्थी के आंशिक वित्त पोषण के साथ सौर स्ट्रीट लाइट, सोलर स्टडी लैंप का वितरण, सीमा क्षेत्रों के लिए सोलर पावर पैक, पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्रों के लिए सौर जल तापन प्रणाली, सामुदायिक खाना पकाने के लिए सौर तापीय अनुप्रयोग, आदि तैयार कर रहा है।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. 151/1/2022-पीएंडसी, दिनांकः 28 जून, 2022]

(सिफारिश क्र.सं. 12)

समिति नोट करती है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2021-22 के लिए अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान और विकास के लिए बजटीय आवंटन में संशोधित अनुमानों के समय काफी कमी की गई थी, जबकि इस मामले में वित्तीय वर्ष 2020-21 अपवाद है। वर्ष 2018-19 में, 94 करोड़ के बजट अनुमान को संशोधित स्तर पर लगभग 54 प्रतिशत कम करके 43 करोड़ रु. कर दिया गया; वर्ष 2019-20 में, 60 करोड़ रु. के बजट अनुमान को 75 प्रतिशत कम करके 15 करोड़ रु. कर दिया गया और 2021-22 में 75 करोड़ रु. के बजट अनुमान को कम करके 27.50 करोड़ रु. कर दिया गया। यह पाया गया है कि मंत्रालय द्वारा काफी कम किए गए आवंटन का भी पूरा उपयोग नहीं किया जा सका। 2020-21 में, 20 करोड़ रु. के बजट अनुमान को संशोधित स्तर पर बढ़ाकर 49 करोड़ रु. कर दिया गया था लेकिन पुनः मंत्रालय आबंटन का पूरा उपयोग नहीं कर सका। समिति महसूस करती है कि निरंतर विकास के लिए अनुसंधान और विकास में पर्याप्त निवेश एक पूर्व-आवश्यकता है और आवंटित धन का उपयोग करने में मंत्रालय की लगातार अक्षमता इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के प्रति उसके आकस्मिक ढुलमुल रवैये को दर्शाती है। इसलिए समिति प्रशंसा करती है कि मंत्रालय को आवंटित

निधि के अधिकतम उपयोग पर ध्यान देना चाहिए ताकि स्वीकृत राशि के कम उपयोग के कारण अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन, प्रदर्शन और विकास प्रभावित न हो। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों और विशेष अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करे और उन्हें धन उपलब्ध कराए।

सरकार का उत्तर

अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए डॉ. अनिल काकोडकर (पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग) की अध्यक्षता में बने विशेषज्ञों के पैनल की सिफारिशों के आधार पर एमएनआरई द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 को नवीकरणीय ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (आरई-आरटीडी) को संशोधित किया गया। इससे देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर प्रचार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए अच्छी परियोजनाएं सुनिश्चित होंगी। आरई-आरटीडी कार्यक्रम कुल 228.00 करोड़ रु. के परिव्यय से 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए जारी रखा गया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में कुशल और किफायती तरीके से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक प्रसार के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए आर एंड डी के प्रयास को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम देश की अनुसंधान एवं नवाचार क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा जिससे देश में ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ेगी। आरई-आरटीडी कार्यक्रम में सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठन/शैक्षणिक संस्थानों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता और उद्योग/स्टार्ट-अप/उद्यमियों/निजी संस्थानों को 50-70 प्रतिशत वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 20 करोड़ रु. के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान चरण में बढ़ाकर 49 करोड़ रु. कर दिया गया। वास्तविक व्यय 36.57 करोड़ रु. था। क्रियान्वयन संगठन के ईएटी मॉड्यूल के संचालन में आई कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से 12.43 करोड़ रु. की राशि जारी नहीं की जा सकी। वर्ष 2021-22 के दौरान योजना दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 को शुरु की

गई थी, अतः बजट अनुमान को संशोधित कर 27.50 करोड़ रु. किया गया, जिसका पूर्ण-रूप से उपयोग किया गया।

मंत्रालय सभी आवश्यक कदम उठा रहा है, अर्थात् देश भर में "प्रस्ताव आमंत्रित करना", प्रगति की नियमित निगरानी करना और आवंटित धन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। बजटीय आवंटन को खर्च करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। मंत्रालय भी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईआईटीएस, नाइस, नीवे, नीबे एवं अन्य आर एंड डी संस्थानों जैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों के बीच सफल सहयोग के लिए समर्पित दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. 151/1/2022-पीएंडसी, दिनांकः 28 जून, 2022]

(सिफारिश क्र.सं. 13)

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है जो जैव ऊर्जा में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केन्द्रित करता है। मंत्रालय ने बताया है कि संस्थान जनशक्ति की काफी कमी होने के कारण अपने वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान में तकनीकी और वैज्ञानिक जनशक्ति की भारी कमी का मुद्दा उठाया था। सितम्बर, 2020 में मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में बताया कि भर्ती प्रक्रियाधीन थी और इसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद थी। हालांकि, समिति ने पाया कि कमी अभी भी बनी हुई है जिससे स्पष्ट रूप से संस्थान की दक्षता प्रभावित हुई है। यह भी ध्यान में आया है कि संस्थान में कम से कम पिछले 2 वर्षों से कोई नियमित महानिदेशक नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को महानिदेशक के साथ-साथ अन्य तकनीकी और वैज्ञानिक पदों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि संस्थान ठीक से काम कर सके और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

मंत्रालय द्वारा फरवरी एवं मार्च, 2022 के दौरान नीवे में विभिन्न वैज्ञानिक पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया चलाई गई और अलग-अलग पदों पर 8 वैज्ञानिक को चयनित किया गया। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेजा गया और यह उम्मीद की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में नए वैज्ञानिक पद भार ग्रहण कर लेंगे।

इसके अलावा, एसीसी के अनुमोदन के बाद 25 मई, 2022 को संस्थान में नियमित महानिदेशक ने पदभार ग्रहण कर लिया।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. 151/1/2022-पीएंडसी, दिनांकः 28 जून, 2022]

अध्याय - तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

शून्य

अध्याय - चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

(सिफारिश क्र.सं. 1)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। समिति ने यह नोट किया है कि नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1981 में आयोग के रूप में एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया जिसे 1982 में एक विभाग बना दिया गया और 1992 में यह विभाग गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बन गया। यह आश्चर्यजनक है कि मंत्रालय जो 30 वर्षों से अस्तित्व में है, के पास अपने दिशानिर्देश तैयार करने और उन्हें जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सही है कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी रखने के लिए ग्रिड से जुड़ी विद्युत संबंधी कार्यकलापों को एक ही प्रशासनिक इकाई के तहत रखा जाना चाहिए। तथापि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को पारेषण और वितरण पर ध्यान दिए बगैर केवल नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन हेतु उत्तरदायी बनाए रखने से सही जानकारी सामने नहीं आ पाती। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में भारत का अग्रणी स्थान है और भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 500 गीगावाट तक वृद्धि करने और इस संबंध में वर्ष 2070 तक कार्बन के उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि विद्युत से जुड़ी सभी केंद्रीय प्रशासनिक इकाईयों को सुव्यवस्थित बनाया जाए और विद्युत क्षेत्र में तालमेल स्थापित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए ताकि प्रशासनिक सुविधा हेतु और इस क्षेत्र में संबंधित सभी मामलों में नीति निर्माण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सभी स्रोतों से विद्युत के पारेषण और वितरण को एक ही प्रशासनिक मंत्रालय के तहत लाया जा सके और इससे संबंधित सभी मामलों में

नीति निर्माण में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस दिशा में पहल करे और समिति को परिणाम से अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

सचिव, एमएनआरई ने दिनांक 16.03.2020 के अ.शा. पत्र सं. 8/4/2020-ईएफएम के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिव को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखा था कि कार्य आवंटन नियमावली 1961 के तहत एमएनआरई को आवंटित कार्य क्षेत्र में संशोधन किया जाए। संशोधन करने के लिए किए गए अनुरोध में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे:

(i) विभिन्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों [सौर; पवन; बायोमास (द्रव जैव ईंधन को छोड़कर); अपशिष्ट से ऊर्जा; ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा सहित महासागरीय ऊर्जा; भूतापीय ऊर्जा; और 25 मेगावाट एवं उससे कम क्षमता की पनबिजली परियोजनाएं] के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन सहित उनके विकास एवं स्थापना से संबंधित सभी मामले;

(ii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास;

(iii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निर्माण से संबंधित नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करना एवं कार्यान्वयन करना;

(iv) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की गई और दिनांक 18.05.2020 के अ.शा. पत्र सं. 1/21/4/2020-मंत्रिमंडल के माध्यम से नीति आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि सहित हितधारक मंत्रालयों/विभागों के साथ आगे अंतर-मंत्रालयी परामर्श करने की सलाह दी गई। मामले की समीक्षा करने के लिए अपर सचिव, एमएनआरई की अध्यक्षता में एक आंतरिक समिति बनाई गई है। विस्तृत प्रस्ताव पुनः मंत्रिमंडल सचिवालय को विचारार्थ भेजा जाएगा।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. 151/1/2022-पीएंडसी, दिनांकः 28 जून, 2022]

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक पैरा सं. 8 देखें)

(सिफारिश क्र.सं. 6)

समिति नोट करती है कि ऑफ-ग्रिड एवं विकेंद्रित सौर अनुप्रयोग कार्यक्रम को मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 की तिथि से समाप्त कर दिया गया है। इस कार्यक्रम का आरंभ निम्न क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए किया गया ऐसे क्षेत्र जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली नहीं पहुंची है या बिजली आपूर्ति में सुनिश्चितता नहीं है; उत्तर-पूर्वी राज्यों के पिछड़े और दूर-दराज वाले क्षेत्र; वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) से प्रभावित जिले आदि। यद्यपि इस कार्यक्रम के उद्देश्य अत्यंत प्रशंसनीय थे, किंतु समिति यह देखकर क्षुब्ध है कि इस कार्यक्रम को अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के बिना समाप्त कर दिया गया। मंत्रालय ने निवेदन किया है कि इस योजना के संबंध में दिशा-निर्देश को अगस्त, 2008 में जारी किया गया और इसके कार्यान्वयन में आम चुनाव, 2019 हेतु आचार संहिता के लागू हो जाने और कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण विलंब हुआ। मंत्रालय द्वारा बताए गए कारणों से यह स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत को पश्चात इसे पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इसी प्रकार, अटल ज्योति योजना (अजय) को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वर्ष 2020 में सरकार द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) योजना को रोक दिया गया था। किंतु, नवंबर, 2021 में एमपीलैड योजना के पुन: शुरू किए जाने के बावजूद भी अजय योजना को पुन: लागू नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑफ ग्रिड एवं विकेन्द्रित और अनुप्रयोग के माध्यम से पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ऊर्जा तक पहुंच को बढ़ाई जा सकती है, समिति सिफारिश करती है कि ऑफ-ग्रिड एवं विकेन्द्रित और अनुप्रयोग कार्यक्रम तथा अजय योजना को पुनः लागू किया जाना चाहिए। मंत्रालय को जमीनी स्तर पर इन कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए इनका मूल्यांकन करना चाहिए और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को शामिल करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय में ऑफग्रिड सौर सेक्टर के तहत विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही थी। इनमें संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमपीलैड) से आंशिक वित्त पोषण का उपयोग करते हुए सौर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराने के लिए अटल

ज्योति योजना; सौर स्ट्रीट लाइट, सौर स्टडी लैम्प और सौर पावर पैक्स उपलब्ध कराने के लिए ऑफग्रिड एवं विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण-III; और संकेन्द्रित सौर तापीय प्रौद्योगिकी संबंधी योजना शामिल है। ये सभी योजनाएं 01.04.2021 से पहले बंद कर दी गई हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की पुनर्बहाली और कोविड-19 महामारी में सुधार के साथ मंत्रालय ने उपर्युक्त पूर्व योजनाओं के तहत शामिल सभी ऑफग्रिड अनुप्रयोगों को शामिल करते हुए, ऑफग्रिड सौर पीवी/तापीय अनुप्रयोगों के साथ-साथ डीआरई आजीविका अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। प्रारूप ईएफसी नोट तैयार कर लिया गया है और यह अनुमोदन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने अपनी ऑफग्रिड योजनाओं का तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन करवाया है और मूल्यांकन की सिफारिशें प्रस्तावित योजना में उपयुक्त रूप से शामिल की गई हैं।

[नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
का.ज्ञा. सं. 151/1/2022-पीएंडसी, दिनांकः 28 जून, 2022]

समिति की टिप्पणियाँ

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक पैरा सं. 14 देखें)

अध्याय - पाँच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

शून्य

नई दिल्ली;
13 मार्च, 2023
22 फाल्गुन, 1944 (शक)

जगदम्बिका पाल,
सभापति,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध - 1

प्रमुख अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में प्रदान की जा रही सब्सिडी और प्रोत्साहन

क. ग्रिड-इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम:

1. सौर विद्युत परियोजनाएं	
क) ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं	(i) आवासीय क्षेत्र के लिए - • 3 किलोवाट पीक तक की क्षमता के लिए 40 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) • 3 किलोवाट पीक से अधिक और 10 किलोवाट पीक तक की क्षमता के लिए 20 प्रतिशत तक सीएफए • 500 किलोवाट पीक तक की जीएचएस/आरडब्ल्यूए क्षमता के लिए 20 प्रतिशत तक सीएफए (प्रति घर 10 किलोवाट पीक तक और कुल 500 किलोवाट पीक तक सीमित) (ii) डिस्कॉमों के लिए • बेसलाइन से अधिक क्षमता जोड़ने में उपलब्धियों के आधार पर परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक प्रोत्साहन।
ख) सीपीएसयू योजना चरण-II के तहत सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं	स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सीपीएसयू/सरकारी संगठनों को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की वीजीएफ सहायता।
ग) सौर पार्क योजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. तक प्रति सौर पार्क । प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या ग्रिड संबद्धता लागत सहित परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो।
घ) पीएम-कुसुम योजना	इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह

	पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाएगा। इसलिए डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. होगा। स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर्वतीय राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर्वतीय राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी।
ङ) हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना	जीईसी चरण-I: डीपीआर लागत अथवा जारी की गई लागत, इनमें से जो भी कम हो, के 40 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता। सीसीईए द्वारा अनुमोदित कुल केन्द्रीय वित्तीय सहायता 4056.67 करोड़ रु. है। जीईसी चरण-II: डीपीआर लागत अथवा जारी की गई लागत, इनमें से जो भी कम हो, के 33 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता। सीसीईए द्वारा अनुमोदित कुल केन्द्रीय वित्तीय सहायता 3970.34 करोड़ रु. है।

परिशिष्ट - एक

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की 13 मार्च, 2022 को समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई 18वीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1015 बजे से 1100 बजे तक चली।

लोकसभा

1 श्री गुरजीत सिंह औजला
2 श्री प्रदीप कुमार चौधरी
3 डॉ. ए. चैल्ला कुमार
4 श्री एस. ज्ञानतिरावियम
5 श्री किशन कपूर
6 श्री सुनील कुमार मंडल
7 श्री अशोक महादेवराव नेते
8 श्री एस.सी. उदासी (पीठासीन)
9 श्री बालाशौरी वल्लभनेनी

राज्य सभा

10 श्री गुलाम अली
11 श्री राजेन्द्र गहलोत
12 श्री नारायण दास गुप्ता
13 श्री मुजीबुल्ला खान
14 श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
15 श्री के. आर. एन. राजेश कुमार
16 डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - संयुक्त सचिव
2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

2. चूंकि माननीय सभापति बैठक में भाग नहीं ले सके, इसलिए समिति के सदस्य श्री एस.सी. उदासी ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 258(3) के अनुसार बैठक की अध्यक्षता की।

3. सर्वप्रथम, कार्यवाहक सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए लिया:

(i) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

(ii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी प्रतिवेदन।

(iii) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी प्रतिवेदन।

4. प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, समिति ने 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' संबंधी प्रतिवेदन और 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी प्रतिवेदन को बिना किसी संशोधन/परिवर्तन के स्वीकार किया। 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी प्रतिवेदन को मामूली परिवर्तनों/संशोधनों के साथ स्वीकार गया। समिति ने सभापति को उपर्युक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए भी प्राअधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट - दो

(प्रतिवेदन के प्राक्कथन के अनुसार)

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(i)	सिफारिशों की कुल संख्या	13
(ii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: क्रम सं. 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 और 13	
	कुल:	11
	प्रतिशत:	84.62%
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है: शून्य -	
	कुल:	00
	प्रतिशत:	00
(iv)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है: क्रम सं. 1 और 6	
	कुल:	02
	प्रतिशत:	15.38%
(v)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं: शून्य -	
	कुल:	00
	प्रतिशत:	00